राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
विकास खण्ड, शासन सचिवालय जयपुर फोन नं. 0141–2227275, Email-seprd 123@gmail.com

प. 27(36) ग्राविवि / अनु–5 / जीकेएन / बीएसआर सॉफ्टवेयर / 2015–16 / 945 जयपुर दिनांक 21/5/15

अधिशाषी अभियन्ता एवं
सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

विषयः–विभागीय बीएसआर सॉफ्टवेयर से दर विश्लेषण से नवीन प्रिंट लेने बाबत।

महोदय,

दिनांक 18.5.2015 को आयोजित विडियो कांफ्रेंसिंग में अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) जिला परिषद बाडमेर द्वारा सूचित किया है कि विभागीय बीएसआर सॉफ्टवेयर के दर विश्लेषण के कुछ आईटमों में कॉलम योग में राशि की गणना में अंतर एवं इसका निराकरण करने हेतु अनुरोध किया गया है। विभागीय स्तर पर तत्काल परीक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 12.5.2015 से 18.5.2015 तक की अवधि के दौरान किये गये सॉफ्टवेयर अपडेशन का कार्य के दौरान कुछ हुई समस्या के कारण ऐसा हुआ है एवं इस समस्या को तत्काल निराकरण कर सॉफ्टवेयर में दिनांक 19.5.2015 को करा दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि दिनांक 12.5.2015 से 19.5.2015 तक की अवधि के दौरान लिये गये बीएसआर प्रिंट को अमान्य मानते हुए पुनः नवीन प्रिंट लिये जाने का श्रम करावें। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि दर विश्लेषण आदि में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को दूरभाष व ई मेल पर अवगत कराने का श्रम करावें। ताकि त्रुटि का तत्काल निराकरण करवाया जा सके।

भवदीय,

(के.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला दर निर्णायक समिति जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

अधिक्षण अभियन्ता